(35)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील सख्याः–195 / 2008 (जीसीएमएस नं. 2008 / 00001)

1. अशोक कुमार कुमावत पुत्र स्व. श्री सूवालाल आयु 43 वर्ष निवासी ई–171, प्रेम नगर, झोटवाडा, जयपुर ।
2. राम सिंह पुत्र स्व. श्री सूवालाल आयु 36 वर्ष निवासी ई–171, प्रेम नगर, झोटवाडा, जयपुर ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जरिये सचिव पता कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर ।
2. गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. रजिस्ट्रेशन नंबर 2564 / एल जरिये अध्यक्ष शिव विजय शर्मा पता – चार नम्बर डिस्पेन्सरी के पास, सोडाला, जयपुर (राज.)
3. सरेश पुत्र गोपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
4. संतोष पत्नी गोपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर ।
5. विष्णु पुत्र रामनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर ।
6. रामबाबू पुत्र रामनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
7. गोविन्द पुत्र रामनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
8. गणेश पुत्र मोहरी लाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
9. नारायण पुत्र मोहरीलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
10. बाबू पुत्र मोहरीलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर ।
11. नानू पुत्र मोहरीलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर ।
12. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
13. सुरेश पुत्र रामेश्वर जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
14. बंशी पुत्र रामेश्वर जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
15. गोकुल पुत्र विजयलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
16. गुलाबचन्द पुत्र विजयलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
17. सोनी बेवा विजय लाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
18. नाथू पुत्र रामपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
19. मंगल पुत्र रामपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

20. रमेश पुत्र रामपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
21. बाबूलाल पुत्र रामपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
22. चौथी बेवा रामपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
23. नवरतन पुत्र गोपीराम जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
24. लालचन्द पुत्र सुगना जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
25. हनुमानसहाय पुत्र काना जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
26. सूरजमल पुत्र काना जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
27. शान्ती बेवा काना जाति कुमावत निवासी ग्राम झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
28. भारत संघ जरिये सचिव, रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक भारत सरकार नई दिल्ली।
29. रक्षा सम्पदा अधिकारी, जयपुर वृत्त, पी–21, तुलसी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ।

तरतीबी –प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2001 न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–बी–3, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर प्रकरण संख्या /2 उनवानी सरकार बनाम रामनारायण वगै0 जिसके धारा अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी की भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि का राज्य सरकार में पुनग्रहित कर लिया।

उपस्थितिः–

1. **श्री कैलाश नारायण शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हीरालाल सैनी, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से**
3. **श्री राजाराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से**
4. **श्री सुरेन्द्र सिंह नरूका, रेस्पोडेन्ट नं. 28 व 29 की ओर से।**

निर्णय

दिनांकः 12.02.2024

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन बी–3, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2001 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90बी के तहत प्रस्तुत की गई।

2. प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन बी–3, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.09.2001 से व्यथित होकर अपीलान्ट अशोक कुमार कुमावत पुत्र सुवा लाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन बी–3, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर दिनांक 28.09.2001 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन बी–3 में कार्यरत तहसीलदार ने एक प्रार्थनापत्र अधीन धारा 90 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधीनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा 4 नम्बर 1138 ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर के रिकार्डेड खातेदारो ने भूमि खसरा नम्बर 1138 ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० रजिस्ट्रेशन नंबर 2564/ एल के माध्यम से उसके सदस्यो को अकृषि प्रयोजनार्थ हस्तान्तरित कर दिया है। अतः प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधीनियम 1956 की धारा 90 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर उक्त भूमि राज्यहित में पुर्नग्रहित कर लिये जाने हेतु अनुरोध किया। इसपर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा दिनांक 28–9–2001 को उक्त भूमि के खातेदार/अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकरों को समाप्त कर उक्त भूमि राज्यहित में पुर्नग्रहित किये जाने का आदेश पारित किया । अपीलार्थीगण को प्रश्नगत आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 24–2–2004 को तब हुई जब विपक्षी समिति के पदाधिकारी श्री विजय सिंह ने प्रार्थीगण से सम्पर्क कर भूमि खसरा नंबर 1138 को जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष धारा 90 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही हेतु समर्पित किये जाने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विपक्षी संख्या 2 की प्रार्थना मंजूर कर धारा 90 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने की सूचना दी। जिसपर प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय की नकलें प्राप्त की तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–9–2001 के विरूद्ध एक एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3569 / 2004 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर ने उक्त पिटीशन का निस्तारण अपने निर्णय दिनांक 28–4–2008 द्वारा कर प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया । प्रार्थीगण अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन के दौरान लगे समय को न्यायालय श्रीमान द्वारा कन्डोन किये जाने के निर्देश दिये। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1138 ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड में 1/5 हिस्सा खातेदारी अपीलार्थीगण के पिता श्री सुवालाल पुत्र हीरा के नाम दर्ज इन्द्राज चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निर्णय पारित करने से पूर्व रेकार्डेड खातेदार श्री सुवालाल पुत्र हीरा या अपीलार्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है । यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत समर्पण नामे के अनुसार निर्णय न कर अपीलार्थीगण एवं अन्य खातेदारान के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1138 ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को अपने निर्णय में विधिविरूद्ध तरीके से समाहित करते हुए अपीलार्थीगण के कब्जे खातेदारी की उक्त भूमि को बिना किसी विधिक आधार के प्रेमनगर योजना में शामिल किये जाने का आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रार्थना पत्र या समर्पणनामें के अपीलार्थीगण एवं अन्य खातेदारान के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1138 ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को विधिविरूद्ध तरीके से प्रेमनगर योजना में शामिल किये जाने का आदेश पारित किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय व आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण या अपीलार्थीगण के पिता खातेदार श्री सुवालाल व अन्य रेकार्डेड खातेदारान को बिना कोई सुनवाई का समुचित अवसर दिये प्रश्नगत आदेश व निर्णय पारित किया गया है। जो सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। यह कि

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त भूमि के खातेदार अपीलार्थीगण अप्रार्थीगण पर व्यक्तिगत तामील न कराकर सीधे दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रतिस्थापित तामील करवाई है। जबकि आज्ञापक प्रावधानानुसार प्रतिस्थापित तामील तब करवाई जा सकती है, जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी पर सामान्य तरीके से तामील करवाये जाने पर वह तामील से बचता है या सम्मन की सामान्य तरीके से तामील किन्हीं अन्य कारणों से सम्भव नहीं है। लेकिन उक्त प्रकरण में उक्त विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर अप्रार्थीगण की तामील सीधे ही दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा करवाई गई है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थी समिति द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये इकरारनामें के अनुसार अप्रार्थी समिति द्वारा उपरोक्त भूमि के खातेदारों को उनकी भूमि के प्रतिफल रूपये 91,000/– की एवज में मात्र रूपये 5,100/– का भुगतान किया गया । तथा शेष प्रतिफल राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा शेष प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किये जाने से न तो उक्त विक्रय पूर्ण हुआ तथा न ही उक्त विक्रय का विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजीकृत करवाया गया। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी समिति को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। जो विधिक प्रावधानों व बिना अधिकार के होने से खारिज किये जाने योग्य है।। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 90 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रत्यर्थीगण ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध की है। इसलिए उक्त समस्त कार्यवाही प्रारम्भतः शून्य प्रभावी होने से निरस्तनीय है। उक्त विवादित भूमि के खार्तेदार श्री रामनारायण पुत्र घीसा की मृत्यु दिनांक 22–12–1992, मोहरीलाल पुत्र बलबा की मृत्यु दिनांक 4–2–1996, रामेश्वर पुत्र बलबा की मृत्यु दिनांक 16–8–1991 तथा सुवा पुत्र हीरा की मृत्यु दिनांक 20–4–2001 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व हो चुकी थी। तथा यह कार्यवाही खातेदारों की मृत्यु के पश्चात की गई । इस प्रकार उक्त समस्त कार्यवाही विधिविरूद्ध व शून्य प्रभावी होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है । यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को निस्तारित किये जाने में अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए बिना प्रकरण को दर्ज किये प्रकरण की समस्त कार्यवाही निष्पादित कर प्रकरण का निस्तारण भी कर दिया। बिना प्रकरण दर्ज किये आज्ञापक कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर पारित किया गया अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 24–22004 को तब हुई जब विपक्षी समिति के पदाधिकारी श्री विजय सिंह ने प्रार्थीगण से सम्पर्क कर भूमि खसरा नंबर 1138 को जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष थारा 90 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही हेतु समर्पित किये जाने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विपक्षी संख्या 2 की प्रार्थना मंजूर कर धारा 90 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने की सूचना दी। जिसपर प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय की नकलें प्राप्त की तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–9–2001 के विरूद्ध एक एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3569 / 2004 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर ने उक्त पिटीशन का निस्तारण अपने निर्णय 28–4–2008 द्वारा कर प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया। प्रार्थीगण अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन के दौरान लगे समय को न्यायालय श्रीमान द्वारा कन्डोन किये जाने के निर्देश दिये। इसपर उक्त अपील अविलम्ब न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कन्डोन करवाये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी–3 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का विवादित आदेश दिनांक 28–8–2001 को निरस्त फरमाये जाने के कृपापूर्ण आदेश प्रदान करें।

5. वकील रेस्पोडेनट संख्या 2 ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि मान्य न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी ने खसरा नं. 1138, ग्राम झोटवाडा, तहसील जयपुर जिसका कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा था, की भूमि का रूपान्तरण आवासीय उपयोग के लिये कर दिया तथा भूमि कृ ा से आवासीय उपयोग कर दिये जाने पर भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामान्तकरण हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति ने उक्त वर्णित भूमि का जरिये इकरारनामा क्रय करके समिति ने उक्त वर्णित भूमि का जरिये इकरारनामा क्रय करके समिति के सदस्यों को भूखण्डों में आंवटित कर दी जिससे अब समिति के सदस्यों का कब्जा उक्त भूमि पर हो गया तथा समिति के सदस्य उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण से पट्टा प्राप्त करके आंवटित भूखण्डों पर मकानात बना करके आवासीय उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं। समिति तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा विधिक रूप से समिति के सदस्यों को आंवटित भूखण्ड पर समिति के सदस्यों का भौतिक व कानून कब्जा है। इसलिये इस अपील निर्णय से समिति के सदस्यों पर सीधा प्रभाव पडेगा। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत कार्यवाही करने की प्रक्रिया निर्धारित है जब कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया जावें तो भूमि सिवाय चक हो जाती है। इसी क्रम में तहसीलदार ने भूमि की नोईयत बदलने के क्रम में राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी की हैसियत से सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और सक्षम अधिकारी ने भूमि को सिवाय चक/सरकारी घोषित किया है जिनकी सूचना अखबार में प्रकाशित करवाई भूमि का नामान्तरकरण खुलाने से के कोई असर नही पड़ता, मौके पर सदस्य काबिज है तथा योजना अनुमोदित है। केवल नाजायज दबाव बनाने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

6. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 28 व 29 ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण जोन बी 3 में कार्यरत तहसीलदार ने एक प्रार्थना पत्र धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नं. 1138 ग्राम झोटवाडा, जयपुर के रिकार्डेड खातेदारों ने भूमि खसरा नम्बर 1138 ग्राम झोटवाडा जयपफश्र श्रब्ज 2 बीघा 10 बिस्वा को गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. रजिस्ट्रेशन नम्बर 2564/एल के माध्यम से उसके सदस्यों को अकृषि प्रयोजनार्थ हस्तान्तरित कर दिया है। अतः प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर उक्त भूमि राज्यहित में पुर्नग्रहित कर लिये जाने हेतु अनुरोध किया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा दिनांक 28.9.2001 को उक्त भूमि के खातेदार / अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर उक्त भूमि राज्यहित में पुर्नग्रहित किये जाने का आदेश पारित किया । अपीलार्थीगण को प्रश्नगत आदेश की जानकारर सर्वप्रथम दिनांक 24.4.2004 को तब हुई जब विपक्षी समिति के पदाधिकारी श्रम विजय सिंह ने प्रार्थीगण से सम्पर्क कर भूमि खसरा नम्बर 1138 को जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष धारा 90बी राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु समर्पित किये जाने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विपक्षी संख्या 2 की प्रार्थना मंजूर कर धारा 90बी राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत आदेश पारित किये

जाने की सूचना दी। जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय की नकलें प्राप्त की तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.9.2001 के विरूद्ध एक एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2569/004 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की । माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के उक्त पिटीशन का निस्तारण अपने निर्णय 28.4.2008 द्वारा कर प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा जिस भूमि बाबत अपील प्रस्तुत की गई है उसमें भारत संघ को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि उक्त भूमि पर कब्जा भारत संघ का 1955 से है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (अपप) (अपपप) के तहत उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार किसी और के नाम नहीं हो सकता। उक्त अधिकार काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल मात्र भारत संघ के पास है। क्योंकि अपील में जिस भूमि का हवाला दिया है यह 1955 से छावनी के रूप में भारत संघ के पास है और आज भी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर भारत संघ को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है। जिसके कारण भारत संघ को क्षति हो सकती है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (vii) (viii) के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को भी 90बी की कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार नहीं है। जो कि 90बी की कार्यवाही कर जो पट्टे जारी किये हैं वे कानून की नजर में अवैध व शून्य हैं । उक्त भूमि माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका वर्तमान में विचाराधीन है। जिसका नम्बर 5979/04 बजरंग लाल बनाम भारत संघ है। खसरा नं. 1138 व अन्य पर भारत संघ की छावनी के रूप में मालिकाना हक रखती है व उसका उपयोग व उपभोग कर रही है। जिसको राज्य सरकार द्वारा जो एम एल आर में 224 भी उक्त जमीन को भी छावनी के रूप में दर्शाई गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण की अपील निरस्त फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी–3 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का विवादित आदेश दिनांक 28–8–2001 को निरस्त किया जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बंन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा भारत संघ का 1955 से है। अपील में जिस भूमि का हवाला दिया है वह 1955 से छावनी के रूप में भारत संघ के पास है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (vii) (viii) के तहत उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार किसी और के नाम नहीं हो सकता। उक्त अधिकार काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल मात्र भारत संघ के पास है। क्योंकि अपील में जिस भूमि का हवाला दिया है यह 1955 से छावनी के रूप में भारत संघ के पास है और आज भी है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (vii) (viii) के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को भी 90बी की कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार नहीं है। जो कि 90बी की कार्यवाही कर जो पट्टे जारी किये हैं वे कानून की नजर में अवैध व शून्य हैं । उक्त भूमि माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका वर्तमान में विचाराधीन है। जिसका नम्बर 5979/04 बजरंग लाल बनाम भारत संघ है। खसरा नं. 1138 व अन्य पर भारत संघ की छावनी के रूप में मालिकाना हक रखती है व उसका उपयोग व उपभोग कर रही है।

संभागीय आयुक्त

जिसको राज्य सरकार द्वारा जो एम एल आर में 224 भी उक्त जमीन को भी छावनी के रूप में दर्शाई गई है। उक्त जमीन का मालिकाना हक भारत संघ के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 295 के तहत सेना के पास जमीन का मालिकाना हक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन बी–3, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2001 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त एवं प्राधिकारी अधिकारी जोन–बी –3, हाल जोन– 6, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2001 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 1138 ग्राम झोटवाडा, जयपुर को भारत संघ, जरिये सचिव, रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक भारत सरकार नई दिल्ली के नाम इन्द्राज किया जावे।

(डॉ0 अरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।